

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 39/2013 एल.आर.एक्ट

मोहम्मद कासम पुत्र स्व. गुलाब जाति व्यापारी निवासी व्यापारियों का मोहल्ला,  
रतननगर तहसील व जिला चूरु

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरणसर जिला बीकानेर ।
2. मोहम्मद मुश्ताक
3. मोहम्मद आमीन पि० स्व. गुलाब पुत्र इदूखां जाति व्यापारी निवासी
4. अब्दुल मजीद व्यापारियों का मोहल्ला, रतननगर त०जि० चूरु ।
5. अब्दुल कयूम
6. मोहम्मद इल्यास
7. आसिया पुत्रीयान नकजमा पुत्री गुलाब व आमीना नाबालिग जरिये वली
8. सोफिया पिता निसार अहमद मुसलमान नि० मेहनसर त०जि० झुंझुनु ।
9. जेनम पत्नी
10. मोहम्मद अयूब पुत्र
11. जाकिर पुत्र पिसरान मोहम्मद सफी पुत्र मोहम्मद अहमद जाति कसाई
12. मुस्लिम पुत्र निवासीगण टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु ।
13. खतीजा पुत्री
14. हस्मत पुत्री
15. मेमुना पुत्री

.....रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या: 34/2013 एल.आर.एक्ट

मोहम्मद कासम पुत्र स्व. गुलाब जाति व्यापारी निवासी व्यापारियों का मोहल्ला,  
रतननगर, तहसील व जिला चूरु ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जेनम बेवा
2. मोहम्मद अयूब पुत्र
3. जाकिर पुत्र
4. मुस्लिम पुत्र
5. खतीजा पुत्री पिसरान मोहम्मद सफी पुत्र मोहम्मद अहमद जाति
6. हसमत पुत्री कसाई निवासीगण टाई तहसील मलसीसर जि० झुंझुनु ।
7. मेमुना पुत्री
8. मोहम्मद मुश्ताक
9. मोहम्मद आमीन
10. अब्दुल मजीद पुत्रगण गुलाब जाति व्यापारी निवासीगण व्यापारियों का
11. अब्दुल कयूम मोहल्ला रतननगर, तह० व जिला चूरु ।
12. मोहम्मद इल्यास
13. आसिया पुत्रीयान नजमा पुत्री गुलाब व आमीना नाबालिग जरिये वली

14. सोफिया पिता निसार अहमद मुसलमान नि० महनसर तह०जि०झुंझुनु ।  
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरणसर जिला बीकानेर ।


.....रेस्पोंडेंट्स

- उपस्थित: 1— श्री सत्यपालसिंह, अभिभाषक अपीलान्त  
2— श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 9ता15  
एवं अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 1 ता 7

## निर्णय


दिनांक 31.10.19

1. **अपील सं. 39/2013:** यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार लूनकरणसर के आदेश दिनांक 17.6.2013, जिसके द्वारा प्रार्थी मोहम्मद आमीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.12 बाबत विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने, खारिज किया गया, के विरुद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. **अपील सं० 34/2013:** यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा वसीयत प्रकरण सं० 19/2013 अनवान मोहम्मद अयूब बनाम स्टेट में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.6.13 जिसके द्वारा प्रार्थी मोहम्मद अयूब-मुस्लिम पि० मोहम्मद सफी कुरेशी मुसलमान का वसीयत के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.12 स्वीकार कर मोहम्मद सफी के वारिसान के नाम से रिकॉर्ड में अंकन के आदेश दिये, के विरुद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित भूमि समान होने से इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।
4. **अपील सं० 39/2013** के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुई तहसील लूनकरणसर के खसरा नम्बर 360 की 32.10 व खसरा नं० 361 की 37.10 बीघा कुल 70 बीघा भूमि गुलाब पुत्र इदुखां मुसलमान के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खाता धारक गुलाब पुत्र इदुखां का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी मोहम्मद अमीन पुत्र स्व. गुलाब जाति मुसलमान निवासी सुई हाल रतननगर तहसील व जिला चूरु द्वारा तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर के समक्ष दिनांक 3.10.12 को प्रार्थना पत्र मय जमाबन्दी एवम् कुर्सीनामा नगरपालिका रतननगर तथा गुलाब के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत कर कुर्सीनामा अनुसार विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त की जाकर तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा प्रार्थी मोहम्मद अमीन के निमित्त पत्रांक 4347 दिनांक 11.12.12, एवं क्रमांक 303 दिनांक 15.1.13 जारी कर ग्राम सुई में निवास करने, आवंटन होने अथवा मौके पर काश्त करने बाबत किसी प्रकार का सबूत व साक्ष्य तथा खेत पड़ोसी गवाहों के बयान अथवा उनका शपथ पत्र एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से वारिस प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया । जिस पर प्रार्थी मोहम्मद अमीन द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1.13 एवं 29.3.13 मय इन्तकाल सं० 1054, जमाबन्दी 2013, 2015 व 2032-35 तथा ग्राम थेलासर (चूरु) के सम्भ्रान्त नागरिकों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. गुलाब पुत्र इदुखां निवासी थेलासर जिला चूरु के ही थे, अन्य व्यक्ति मुस्लिम ने फर्जी वसीयत पेश की है, जो पंजीकृत नहीं है तथा मुस्लिम विधि में

  
अभिभाषक आयुक्त  
बीकानेर

वसीयत का कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज फरमाया जावे । प्रकरण में प्रार्थी मोहम्मद अमीन द्वारा केवल रतननगर निवासियों के शपथ पत्र पेश करने एवं ग्राम सुई की कृषि भूमि का मौके पर आकर काशत करना अथवा ग्राम सुई के निवासीगण, खेत पड़ौसी अथवा ग्राम के जन प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंच ग्राम पंचायत सुई के ठोस सबूत पेश नहीं करने पर पर्याप्त सबूत व साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी मोहम्मद अमीन का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.12 तहसीलदार (भू0अ0) लूणकरनसर के आदेश दिनांक 17.6.13 द्वारा खारिज कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपील सं0 34/2013 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 360 व खसरा नं0 361 की कुल 70 बीघा रकबा गुलाब पुत्र इदुखां मुसलमान के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। खाता धारक गुलाब पुत्र इदुखां का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी मोहम्मद अमीन पुत्र स्व. गुलाब जाति मुसलमान निवासी सुई हाल रतननगर तहसील व जिला चूरु द्वारा दिनांक 3.10.12 को विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने तथा इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पिसरान मोहम्मद सफी कुरेशी मुसलमान साकिन टाई तहसील व जिला झुंझुनु द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक गुलाब पुत्र इदुखां द्वारा दिनांक 30.12.1971 को रुबरु गवाहान प्रार्थीगण के स्व. पिता मोहम्मद सफी कुरेशी के पक्ष में वसीयत का निष्पादन किया गया था । वसीयत कर्ता गुलाब पुत्र सदीक खां का दिनांक 5.1.72 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण के पिता का भी दिनांक 1.8.04 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनके हम 7 वारिसान है । अतः वसीयतनामा, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्रों के आधार पर वसीयतनामा का इन्तकाल दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पि0 मोहम्मद सफी कुरेशी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार (भू0अ0) लूणकरनसर द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.12.2012 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने के आदेश दिये गये, जिस पर दैनिक युग पक्ष दिनांक 14.12.12 में एतराज प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है। तत्पश्चात प्रार्थी मुस्लिम पुत्र मोहम्मद सफी मुसलमान निवासी टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु द्वारा पुनः तहसीलदार लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी मोहम्मद अमीन निवासी रतननगर (चूरु) ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.12 पेश किया है, जिसमें गुलाब की मृत्यु तिथि 1.1.2000 व वारिस प्रमाण पत्र 17.6.11 नगर पालिका का पेश किया, वह गलत है । जबकि गुलाब की मृत्यु दिनांक 5.1.72 को ग्राम टाई जिला झुंझुनु में हुई है तथा गुलाब अविवाहित फौत हुआ है । प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) लूणकरनसर द्वारा वसीयत प्रकरण में तहसीलदार (भू0अ0) मलसीसर (झुंझुनु) से वारिसान की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.5.13 प्राप्त कर बाद जांच निर्णय दिनांक 18.6.13 पारित किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में मोहम्मद अमीन साकिन रतननगर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका रतननगर के लगाये हैं, जिनमें एकरूपता नहीं है । वारिस प्रमाण पत्र में गुलाब पुत्र इदु गौरी लिखा गया है । विवादित भूमि पर मोहम्मद अमीन वगैरह द्वारा कब्जा काशत साबित करने में असमर्थ रहने से प्रार्थी मोहम्मद अमीन पुत्र गुलाब मुसलमान निवासी

  
 अधिकारी का मुद्रा  
 बंकरनेर

रतननगर का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है व प्रार्थी मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पुत्र मोहम्मद सफी कुरेशी मुसलमान निवासीगण टाई तहसील मलसीसर (जिला झुंझुनु) का प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन हेतु स्वीकार किया जाता है । अतः वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 133 दिनांक 27.8.12 के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा पारित किये गये उपरोक्त निर्णय दिनांक 18.6.13 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।


6. उपरोक्त दोनों अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया । रेस्पोंडेंट को तलब किया गया । प्रार्थीगण जैनब वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर-1 नियम 10 सीपीसी पर इन्हें अपील सं0 39/13 में रेस्पोंडेंट सं0 9 ता 15 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये ।
7. उक्त दोनों अपीलों में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 360 की तादादी 32.10 बीघा, खसरा नं0 361 की तादादी 37.10 बीघा कुल 70 बीघा भूमि गुलाब पुत्र इदुखां मुसलमान के नाम से खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खाता धारक गुलाब पुत्र इदुखां का दिनांक 1.1.2000 को रतननगर (थैलासर) जिला चूरु में देहावसान हो चुका है । स्वर्गीय गुलाब पुत्र इदुखां अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में रतननगर जिला चूरु में व्यापारियों के मोहल्ला में अपने परिवार, पत्नी व बच्चों के साथ रहे । यह कि दिनांक 3.10.12 को अपीलान्ट के भाई मोहम्मद अमीन द्वारा वारिसान के नाम नामानतरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तत्पश्चात उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.12 वसीयति इन्तकाल करवाने बाबत प्रार्थी मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पि0 मोहम्मद सफी कुरेशी निवासीगण टाई जिला झुंझुनु की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 18.6.13 को स्वीकार कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये, जबकि अपीलान्ट के भाई मोहम्मद आमीन द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1.13 एवं 29.3.13 मय इन्तकाल सं0 1054, जमाबन्दी 2013, 2015 व 2032-35 तथा ग्राम थैलासर (चूरु) के सम्भ्रान्त नागरिकों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया था कि स्व. गुलाब पुत्र इदुखां निवासी रतननगर जिला चूरु के ही निवासी ही थे, विवादित भूमि के सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति मोहम्मद अयूब व मुस्लिम ने फर्जी वसीयत पेश की है, जो पंजीकृत नहीं है तथा मुस्लिम विधि में वसीयत का कोई प्रावधान नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर तहसीलदार लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.13 व 18.6.13 निरस्त किया जाकर स्वर्गीय गुलाब पुत्र इदुखां के वारिसान प्रार्थीगण अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट सं02 ता 8 के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे ।
8. प्रकरण में अपील सं0 39/13 में रेस्पोंडेंट सं0 9 ता 15 एवम् अपील सं0 34/13 में रेस्पोंडेंट सं0 1 ता 7 के अभिभाषक ने दोनों अपील प्रकरणों में लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर के खसरा नं0 360 व 361 की तादादी 70 बीघा भूमि बतौर खातेदारी की गुलाब वल्द इदुखां के नाम रही है । जिनकी मृत्यु दिनांक 5.1.72 को ग्राम टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु में हो गई । स्वर्गीय गुलाब पुत्र इदुखां अविवाहित थे और उन्होंने कोई शादी नहीं की एवं उनकी देखभाल मोहम्मद सफी पुत्र अहमद जाति मुसलमान निवासी टाई

  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

जिला झुंझुनु जो कि गुलाब खां वल्द इदुखां का चचेरा भाई था, के द्वारा जीवनकाल में सेवा की गयी और उसकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर गुलाब खां ने दिनांक 30.12.71 को एक वसीयत मोहम्मद सफी के पक्ष में निष्पादित की थी । मोहम्मद सफी पुत्र अहमद की दिनांक 8.4.04 को मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान द्वारा दिनांक 6.12.12 को तहसीलदार (भू.अ.) लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत वसीयति इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की जांच करते हुए पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 18.6.13 पारित किया गया है । यह कि अपीलान्ट अपने आपको गुलाब पुत्र इदुखां का पुत्र बता रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि खातेदार गुलाब पुत्र इदुखां अविवाहित था और उसका अपीलान्ट व उसके भाई बहिन जिन्हें अपील में रेस्पोंडेंट बनाया गया है, उसका कोई लेना देना नहीं था । अपीलान्ट के भाई मोहम्मद अमीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.10.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सही नहीं पाये जाने के कारण आदेश दिनांक 18.6.13 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । यह कि गुलाब पुत्र इदुखां कभी रतननगर गया ही नहीं, हमेशा आजीवन गांव टाई में ही अपने चचेरे भाई मोहम्मद शफी पुत्र अहमद के साथ रहा व उनकी मृत्यु दिनांक 5.1.72 को गांव टाई में हुई थी। यह कि विवादित भूमि पर मोहम्मद सफी पुत्र अहमद के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा काश्त नहीं की गयी । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच करवाये जाने पर एवम् सरपंच ग्राम पंचायत टाई, पंचायत समिति अलसीसर (झुंझुनु) द्वारा जारी किये गये वारिस प्रमाण पत्र अनुसार मोहम्मद सफी पुत्र अहमद ही गुलाब पुत्र इदुखां का चचेरा भाई होना पाया गया है । यह कि अपीलान्ट द्वारा वसीयत को फर्जी बताया गया है, किन्तु उनके द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयत को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया है । अपीलान्ट महज षडयन्त्रपूर्वक गुलाब पुत्र इदुखां नाम के दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति साबित करने पर आमादा है इसलिए अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावे । अपने कथन के सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं0 1 ता 7 व 9 ता 15 ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2007 पेज 109, आरआरडी 2007 पेज 470 एवं आरआरडी 2007 पेज 270 अवलोकनीय बताया ।

9. अपील सं0 39/2013 में उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार भू.अ. लूणकरनसर के आदेश दिनांक 17.6.13 जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का गुलाब पुत्र इदुखां के वारिसान के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.12 खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । उक्त अपील में उभय पक्ष की बहस एवं रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार न्यायालय का निर्णय निम्नवत है :-

- I. प्रकरण अनुसार विवादित भूमि ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर के खसरा नं0 360 व 361 की कुल 70 बीघा भूमि गुलाब पुत्र इदुखां मुसलमान के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त खातेदार का देहान्त होने के पश्चात अपीलार्थी के भाई मोहम्मद अमीन ( रेस्पोंडेंट सं03 ) के द्वारा तहसीलदार लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 3.10.12 को प्रार्थना पत्र मय जमाबन्दी, कुर्सीनामा नगरपालिका

  
 जंघरीय आयुक्त  
 बीकानेर

रतननगर एवं खाताधारक गुलाब का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर कुर्सीनामा अनुसार विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया । उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 6.12.12 को रेस्पोंडेंट सं० 10 व 12 के द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ । प्रकरण में प्रार्थी मोहम्मद अमीन के विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा दिनांक 11.12.12 एवं 15.1.13 को पत्र जारी कर ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर में निवास करने, विवादित भूमि के आवंटन होने का सबूत प्रस्तुत करने, मौके पर काश्त करने, खेत पड़ौसी गवाहों के बयान, शपथ पत्र व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया । किन्तु प्रार्थी मोहम्मद अमीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रतननगर (चूरु) के सम्भ्रांत नागरिकों के शपथ पत्र पेश किये गये, किन्तु विवादित भूमि के खेत पड़ौसियों अथवा कोई स्वतंत्र बयान नहीं करवाये गये हैं । प्रकरण में यह भी तथ्य आया कि गुलाब पुत्र इदुखां अविवाहित रहा था, किन्तु अपीलान्त की ओर से खाता धारक गुलाब की शादी होने के सम्बन्ध में एवं गुलाब पुत्र इदुखां को विवादित भूमि का आवंटन होने के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया । प्रार्थी मोहम्मद अमीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में गुलाब के पिता का नाम इदु लिखा हुआ है व वारिस प्रमाण पत्र में गुलाब के पिता का नाम गुलाब पुत्र इदु गौरी लिखा हुआ है । प्रकरण में अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम सुई के निवासीगण, खेत पड़ौसी अथवा सुई ग्राम के सरपंच अथवा ग्राम पंचायत का कोई प्रमाण पत्र एवं विवादित भूमि पर काश्त करने के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.17 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

10. अपील सं० 34/2013 में उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा वसीयत प्रकरण सं० 19/2013 अनवान मोहम्मद अयूब बनाम स्टेट में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.6.13 जिसके द्वारा प्रार्थी मोहम्मद अयूब-मुस्लिम पि० मोहम्मद सफी कुरेशी मुसलमान का वसीयत के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.12 स्वीकार कर मोहम्मद सफी के वारिसान के नाम से रिकॉर्ड में अंकन के आदेश दिये, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है । उक्त अपील में उभय पक्ष की बहस एवं रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार न्यायालय का निर्णय निम्नवत है :-


- II. प्रकरण अनुसार ग्राम सुई तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 360 व खसरा नं० 361 की कुल 70 बीघा रकबा गुलाब पुत्र इदुखां मुसलमान के नाम से खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। खाता धारक गुलाब पुत्र इदुखां का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी मोहम्मद अमीन पुत्र स्व. गुलाब जाति मुसलमान निवासी सुई हाल रतननगर तहसील व जिला चूरु द्वारा दिनांक 3.10.12 को विरास्तन इन्तकाल बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थीगण मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पिसरान मोहम्मद



उपस्थित अधिकारी  
शिकाये

सफी कुरेशी मुसलमान साकिन टाई तहसील व जिला झुंझुनु द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 6.12.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में मृतक गुलाब पुत्र इदुखां द्वारा दिनांक 30.12.1971 को रुबरु गवाहान प्रार्थीगण के स्व. पिता मोहम्मद सफी कुरेशी के पक्ष में वसीयत का निष्पादन किया गया था । वसीयत कर्ता गुलाब पुत्र सदीक खां का दिनांक 5.1.72 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण के पिता का भी दिनांक 1.8.04 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनके हम 7 वारिसान है । अतः वसीयतनामा, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्रों के आधार पर वसीयतनामा का इन्तकाल दर्ज फरमाया जावे । प्रार्थीगण मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पि0 मोहम्मद सफी कुरेशी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार (भू0अ0) लूणकरनसर द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.12.2012 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है। तत्पश्चात प्रार्थी मुस्लिम पुत्र मोहम्मद सफी मुसलमान निवासी टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु द्वारा पुनः तहसीलदार लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी मोहम्मद अमीन निवासी रतननगर (चूरु) ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.12 पेश किया है, जिसमें गुलाब की मृत्यु तिथि 1.1.2000 व वारिस प्रमाण पत्र 17.6.11 नगर पालिका का पेश किया, वह फर्जी व झूठा है । जबकि गुलाब की मृत्यु दिनांक 5.1.72 को ग्राम टाई जिला झुंझुनु में हुई है तथा गुलाब अविवाहित फौत हुआ है । प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) लूणकरनसर द्वारा वसीयत प्रकरण में तहसीलदार (भू0अ0) मलसीसर (झुंझुनु) से वारिसान की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.5.13 प्राप्त करने के पश्चात एवम् विवादित भूमि पर मोहम्मद अमीन वगैरह द्वारा कब्जा काश्त साबित करने में असमर्थ रहने से प्रार्थी मोहम्मद अमीन पुत्र गुलाब मुसलमान निवासी रतननगर का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रार्थी मोहम्मद अयूब व मुस्लिम पुत्र मोहम्मद सफी कुरेशी मुसलमान निवासीगण टाई तहसील मलसीसर (जिला झुंझुनु) का प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन हेतु स्वीकार कर वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 133 दिनांक 27.8.12 के आधार पर रिकॉर्ड में अंकन का आदेश दिया गया है । न्यायालय का मत है कि प्रकरण अपीलान्ट द्वारा वसीयत को फर्जी बताया गया है, अतः जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को गलत नहीं ठहरा दिया जाता तब तक न्यायिक अवधारणा के अनुसार उसे सही माना जायेगा । प्रकरण में तहसीलदार भू0अ0 लूणकरनसर द्वारा आदेश दिनांक 18.6.13 पारित किया गया है, उसमें प्रथम दृष्टया को त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः तहसीलदार लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.13 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (हनुमान सहाय मीना)  
 सम्भागीय आयुक्त  
 बीकानेर

